

ई.मेल

पत्रांक-08 / प्रो-12-01 / 2025.....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

विक्रम विरकर, मा०प्र०से०
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ अनुमान्य किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-18775 दिनांक 04.10.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना में निहित प्रावधान के आलोक में अवर शिक्षा सेवा (प्रा०शा०) संवर्ग के दिनांक 11.04.2019 से दिनांक 13.10.2023 के बीच अर्हता प्राप्त (संयुक्त कालावधि सहित) सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ अनुमान्य दिया जाना है। इस हेतु उक्त कर्मियों की सेवा सम्पुष्टि, विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, पाँच वर्ष की अद्यतन गोपनीय चारित्री, कार्यकलाप एवं स्वच्छता प्रतिवेदन संबंधी अभिलेख वांछित है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन (वांछित साक्ष्य एवं अद्यतन सेवा पुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित) एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०-यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विक्रम विरकर)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक-08 / प्रो-12-01 / 2025.....-302

पटना, दिनांक 24.02.2026

प्रतिलिपि:-सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बिहार/संबंधित अवर शिक्षा सेवा (प्रा०शा०) संवर्ग के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई-मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

Vikram Virkar

Date: 20-02-2026 15:02:19

